ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
बिहार पटना

पत्रांक 193428 पटना, दिनांक 22/07/14

ग्रा0वि0- 9/(ख)BRDS 45/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू ,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी,
सभी अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **कार्यक्रम पदाधिकारियों के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार प्रखंड पदाधिकारियों को देने के संबंध में ।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक-145731 दिनांक-15.04.2013**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त पत्र का संदर्भ किया जाय जिसके द्वारा जिन प्रखंडों में कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापित नही हैं, वहाँ संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यक्रम पदाधिकारी का प्रभार देकर कार्य कराने का निदेश दिया गया था ।

उक्त निदेश के बावजूद आज भी कई जिलों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि एक कार्यक्रम पदाधिकारी को दो या दो से अधिक प्रखंडों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिसके कारण योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण प्रभावित हो रहा है । योजना के गुणवत्तापुर्ण कार्यान्वयन के निमित्त यह आवश्यक है कि एक कार्यक्रम पदाधिकारी एक ही प्रखंड के प्रभार में रहें ।

अत: अनुरोध है कि जिस प्रखंड में कार्यक्रम पदाधिकारी का पद रिक्त हो, वहाँ संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों, मनरेगा के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों आदि की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित करते हूए एक पक्ष के अन्दर कार्यक्रम पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव 22/7/14